

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न० 278/2022

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- बुधाराम वल्द गरीबा राम कौम भाम्बी , समदरकंवर पत्नी तेजसिंह,  
उगमों कंवर पत्नी भंवरसिंह, उमाकंवर पत्नी नाथूसिंह कौम राजपूत,  
सा देह खनौडा वगै०

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59, 60,  
66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी, तहसीलदार पचपदरा
2. विप्रार्थीगण, एकतरफा ।



आदेश

दिनांक :- 16.05.2023

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं के क्रम में प्रस्तुत कर ग्राम धोलानाडी व खनौडा, पटवार हल्का खनौडा, भूअ.निरीक्षक बडनावे में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) प्रस्तावित रास्ता खनौडा गांव से नयापुरा सरहद तक ग्रेवल सड़क रास्ता चल रहा है ।

उक्त कदीमी रास्ता ग्राम धोलानाडी व खनौडा, पटवार हल्का खनौडा, भूअ.

निरीक्षक बडनावे के खसरा संख्या 469/181, 183, 197, 526/197, 528/197,  
2615/202 527/197, 194, 196 व 346/145 भूमि में चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न

उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

(2)

परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार ग्राम खनौडा गांव से नयापुरा सरहद तक रास्ता को सम्बन्धित खातेदारो की खातेदारी से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रार्थी से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर पत्र क्रमांक/ भू.अ/ 2023/ 1598 दिनांक 25.5.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार प्रकरण मे दिनांक 20.3.2023 को हल्का पटवारी, हमराह सरपंच ग्राम पंचायत खनौडा के साथ मौके पर पहुंचे, मौके पर रास्ता चालू हालत मे है, मौके पर खसरा संख्या 469/181 मे से 0.05 विस्वा, 183 मे से 1 बीघा, खसरा संख्या 197 मे से, खसरा संख्या 526/197, खसरा संख्या 528/197 मे से, 527/197 मे से खसरा संख्या 194 मे से 0.16 विस्वा, खसरा संख्या 196 मे से 0.10 बीघा, खसरा संख्या 346/145 मे से 1.08 बीघा रास्ते हेतु जमीन उपयोग मे आ रही है। खसरा संख्या 197 के खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर दिये जाने पर मूल खसरा 197 मे से 1.15 बीघा जमीन रास्ते हेतु उपयोग आ रही है। खसरा संख्या 202, 150 मे से सीमा सरहद मौजी खां की ढाणी से डामर रोड बन चुकी है। मौका फर्द मौके पर बनाई गई जिस पर हल्का पटवारी, सरपंच खनौडा व अलादीन खां के हस्ताक्षर अंकित है व जमे खां, कादर खां के अगुष्ट के निशान अंकित है।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। बहस पर मनन किया गया जिसमे पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी

भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व

26.5.2023

उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा



(3)


रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं, जो आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम धोलानाडी व खनौडा, पटवार हल्का खनौडा, भू.अ.निरीक्षक बडनावा के खसरा नं. 469/181 में से 0.05 विस्वा, 183 में से 1 बीघा, खसरा संख्या 197 में से , खसरा संख्या 526/197, खसरा संख्या 528/197 में से , 527/197 में से खसरा संख्या 194 में से 0.16 विस्वा, खसरा संख्या 196 में से 0.10 बीघा, खसरा संख्या 346/145 में से 1.08 बीघा भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी रास्ता खनौडा गांव से नयापुरा सरहद तक ग्रेवल सड़क तक चल रहे को तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ/ 2023/ 1598 दिनांक 25.5.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 20.3.2023 व ट्रेस नक्शा अनुसार रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करने का आदेश दिये जाते हैं। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते में ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ/ 2023/ 1598 दिनांक 25.5.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 20.3.2023 व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।



(विवेक व्यास)  
भू.अभिलेख अधिकारी,  
(एसडीओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
26.5.2023  
भू.अभिलेख अधिकारी,  
(एसडीओ) बालोतरा

